राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, भरतपुर (राज0)

तहसीलदार अधिकारी – श्री दामोदर सिंह आर.ए.एस.
वाद संख्या पत्र – 144/18

गोपाल पुत्र श्री राधामोहन जाति ब्राह्मण साल 44 निवासी ग्राम गुण्डवा तहसील व जिला भरतपुर ।

——वादी

बनाम

1. ऊषा पत्नी संतोष जाति ब्राह्मण निवासी गुण्डवा तहसील व जिला भरतपुर राज0 ।
2. राजस्थान सरकार तामील जरिये तहसीलदार साहब भरतपुर।

——प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 88,89 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित – 1. श्री पुरुषोत्तम मुद्गल
अभिभाषक वादीगण
2. पेरोकार सरकार नायब
तहसीलदार प्रतिवादीगण

निर्णय

दिनांक – 19.02.2021

1. वादीगण ने दिनांक 18.09.18 को यह राजस्व दावा अन्तर्गत धारा 88, 89, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध प्रतिवादीगण इस आशय का पेश किया कि संतोष नवीरा बहोरी का देहान्त हो चुका है इसलिए उसके स्थान पर उसकी पत्नी को पक्षकार मुकदमा बनाया गया है। चूँकि जमीन रहन मुक्त है, लेकिन नोट गलत लगा हुआ है, एन. ओ. सी. की प्रति पेश है। आराजी खसरा नम्बरान 717 किता 1 रकबा 0.25 हैक्टेयर ग्राम गुण्डवा तहसील भरतपुर में स्थित है जिसका बयनामा दिनांक 24.08.2016 को वादी ने प्रतिवादनी ऊषा के पति स्व0 संतोष से चार लाख रुपये में 1/2 हिस्सा कराया था। बयनामा दिनांक से ही वादी काबिज आराजी होकर अपने 1/2 हिस्से पर काश्त करता चला आ रहा है और वर्तमान में भी फसल रारसब्ज बाजरा खडा हुआ है। वादी ने बयनामा कराने के पश्चात बयनामा की एक प्रति तत्कालीन हल्का पटवारी को नामान्तकरण वादी के नाम खोलने बाबत् दे दी थी और उसी समय हल्का पटवारी ने आश्वास्त कर दिया था कि आपके नाम नामान्तकरण हो जावेगा आप निश्चित रहे। इस प्रकार वादी सीधा साधा व्यक्ति है और राजस्व कर्मचारियों द्वारा विश्वास दिलाये जाने पर वह अपने उक्त खसरा नम्बर 717 के निष्फ हिस्से पर काश्त करता रहा किसी भी प्रकार की कोई परेशानी नही आई। दिनांक 10.09.2018 को जब वादी अपने उक्त खसरा नम्बर 717 के निष्फ हिस्से पर कृषि कार्य कर रहा था तो प्रतिवादनी संख्या 01 ने स्पष्ट शब्दों में यह धमकी दी कि उक्त आराजी मेरे नाम है तथा मैने इस पर बैंक से के.सी.सी. भी बनवा रखा है। अबकी बार

उपखण्ड अधिकारी

तुझे काश्त नहीं करने दूँगी तथा किसी भी दीगर व्यक्ति को रहनवय कर दूँगी तो वादी ने प्रतिवादनी से कहा कि ये जमीन खसर नम्बर 717 तो मैने तुम्हेरे पति से संतोष से 4 लाख रूपये देकर खरीदी है तो उसके यह भी कहा कि मैने संतोष मेरे पति के देहान्त के बाद राजस्व कर्मचारियों से मिलकर विरासतन नामान्तकरण अपने नाम ही करा लिया था क्योंकि मेरे कोई संतान नहीं है और के.सी.सी. भी बनवा लिया है तुम भले ही काश्त करते हो तुम्हे बेदखल कर दूँगी चूँकि वादी ने उक्त आराजी के 1/2 हिस्से को संतोष (मृतक) से क्रय किया है इसलिए प्रतिवादनी का बयनामा हो जाने के पश्चात उसी दिन संतोष व प्रतिवादनी का हक समाप्त हो गया है। राजस्व रिकार्ड में गलत इन्द्राज को वादी दुरूस्त करा पाने का व प्रतिवादनी के विरूद्ध इस्तकरार हक की डिक्री पाने का अधिकारी है और वादी अपने नाम खातेदारी प्राप्त करने का अधिकारी है। दिनांक 10.09.18 को प्रतिवादनी द्वारा स्पष्ट शब्दों में वादी को धमकी दी है। अगर प्रतिवादनी अपनी उक्त धमकी में कामयाब हो गई तो वादी को एक असीम क्षति होगी जिसकी पूर्ति जरिये नकद से नही हो सकेगी और वादी हमेशा को बर्बाद हो जावेगा। राजस्थान सरकार लैण्ड होल्डर है इसलिए पक्षकार मुकदमा बनाया गया है। अंत में वादी ने यह निवेदन किया है कि आराजी 717 किता 1 रकबा 0.25 हैक्टेयर ग्राम गुण्डवा तहसील भरतपुर के निष्फ हिस्से पर प्रतिवादी ऊषा नं. 01 का नाम राजस्व रिकार्ड से कलमजन कर वादी का नाम राजस्व रिकार्ड में अंकित कर उसे खातेदार काश्कार घोषित किया जावे तथा उपरोक्तानुसार ही राजस्व रिकार्ड में प्रविष्ठियाँ की जावे तथा खसरा नम्बर 717 में बैंक का ऋण प्रतिवादनी से ही वसूल किया जावे। जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से प्रतिवादनी संख्या 01 को पाबन्द किया जावे कि वह वादी के शांतिपूर्वक कब्जे काश्त में किसी भी प्रकार की मदाखलत मजाहमत बेजा नहीं करें जिससे वादी के हकूको पर विपरीत असर पडे। खर्चा मुकदमा वादी को प्रतिवादनी से दिलाया जावे।

2. दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण की तलवी जरिये सम्मनों से की गई। नायब तहसीलदार ने उपस्थित होकर यह कहा कि वे जवाब पेश नहीं करना चाहते। प्रति0 सं0 1 की तलवी रजि0 ए.डी. सम्मनों से की गई। ये दिनांक 05.09.19 तक उपस्थित न्यायालय नहीं है। अतः प्रति संख्या 1 के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की गई है।

3. वादी द्वारा अपने दावा के समर्थन में नकल जमाबन्दी हाल सं. 2072–75 प्रदर्श–1, नकल बयनामा दिनांक 24.08.2016 प्रदर्श–2, नकल जमाबन्दी सं. 2068–71 पेश की। मौखिक साक्ष्य में वादी ने स्वयं के शपथ–पत्र पर बयान Pw.1 पेश कर अपनी साक्ष्य समाप्त की।

4. वादी के अभिभाषक की बहस सुनी गई। वादी के अभिभाषक ने अपने दावा के कथनों को दोहराते हुये अवगत कराया कि वादी ने आराजी खसरा नम्बर 717 किता 1 रकबा 0.25 हैक्टेयर ग्राम गुण्डवा को प्रतिवादनी ऊषा के पति स्व0 संतोष से दिनांक 24.08.

2016 को जरिये वयनामा 12/25 हिस्सा क्रय किया गया था। वयनामा का नामान्तकरण दर्ज होने से पूर्व ही ऊषा ने मृतक संतोष के बाद विरासत का नामान्तकरण दर्ज करवा लिया गया एवं स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया में रहन भी दर्ज करवा दिया गया । इसलिए विवादित आराजी का प्रतिवादी नं. 1 ऊषा का नाम राजस्व रिकार्ड से कलमजन कर वादी का नाम राजस्व रिकार्ड में अंकित कर उसे खातेदार कृषक घोषित किया जावे एवं बैंक ऋण प्रतिवादनी के शेष आराजी से ही वसूल किया जावे।

5. पत्रावली का अवलोकन किया गया। वादी के अभिभाषक की बहस पर मनन किया गया। नकल वयनामा प्रदर्श–2 के मुताबिक वादी ने दिनांक 24.08.2016 को प्रतिवादी सं. 1 के पति संतोष से आराजी खसरा नं. 717 रकबा 25 ऐयर से 12/25 हिस्सा क्रय किया था। वयनामा के आधार पर नामान्तकरण दर्ज नहीं होकर संतोष की मृत्यु के बाद विरासत का नामान्तकरण उसकी पत्नि प्रति0 संख्या 1 ऊषा के नाम दर्ज कर दिया गया। नकल जमाबन्दी हाल सं. 2072–75 प्रदर्श–1 के मुताबिक प्रतिवादी संख्या 1 ऊषा द्वारा अपनी समस्त आराजी खाता सं. 246 पर स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया शाखा कुम्हेर गेट भरतपुर से ऋण लेकर पूर्ण खाते को रहन दर्ज करवा लिया गया। इस प्रकार वादी द्वारा जरिये वयनमा क्रय की गई आराजी खसरा नं. 717 रकबा 25 ऐयर पर प्रतिवादी द्वारा बैंक से ऋण प्राप्त कर रहन दर्ज करवा लिया गया। वादी द्वारा अपने दावा में स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया कुम्हेर गेट भरतपुर जो कि एक आवश्यक पक्षकारहै, को दावे में पक्षकार नहीं बनाया है। जबकि दावा में स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया भरतपुर के हक प्रभावित है। वादी ने वादपत्र में रहन सम्बन्धी नोट गलत होने और जमीन रहन मुक्त होने का कथन किया है, जिसके सम्बन्ध में किसी एन.ओ.सी. की प्रति पेश किया जाना बताया है। परन्तु ऐसी कोई एन.ओ.सी. वादी द्वारा पेश नही की गई है। नकल जमाबन्दी सम्वत 2072–75 प्रदर्श–1 में प्रतिवादी ऊषा द्वारा ऋण लेने के कारण नोट रहन पूर्ण खाता स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया शाख कुम्हेर गेट भरतपुर लगा हुआ है। इस प्रकार वादी ने स्टेट बैंक आफ इण्डिया भरतपुर को पक्षकार नही बनाकर भारी भूल की है। बैंक को पक्षकार बनाये बिना उक्त दावे का निस्तारण नहीं किया जा सकता। दावा वादी खारिज किये जाने योग्य है।

अतः आज्ञा है कि –

दावा वादी खारिज किया जाता है। पर्चा डिक्री जारी हो। निर्णय मेरे द्वारा आज दिनांक 19.02.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(दामोदर सिंह आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी
भरतपुर